

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/272
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00180
CICOM/R/2019/00617

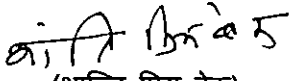
दिनांक: 25.11.2019

अपीलकर्ता : श्री देवेन्द्र कुमार,
पुत्र - श्री लाल सिंह,
म.नं. - बी 24, सेक्टर - 4बी,
शताब्दी नगर, दिल्ली रोड,
मेरठ - 250103.

निर्णय की तारीख: 25.11.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.09.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.09.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	17697/01.10.2019

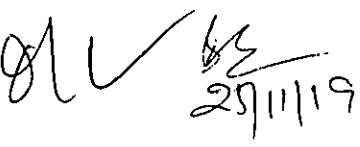
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 09.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 09.08.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री के. एल. दास द्वारा दिनांक 12.09.2019 को प्रेषित की गई सूचना सूचना सपष्ट एवं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार प्रथम अपील खारिज की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(शान्ति प्रिय बेक)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. ✓ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।




C. I. C. / के. सू. आ.
RECEIVED
25 NOV 2019
D. No.
Initials.